ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 83

ग्रामीण विकास विभाग

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		64218.99	44.47	64263.46	73175.00	46.82	73221.82	52000.00	44.83	52044.83	74429.00	48.65	74477.65
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**64218.99**	**44.47**	**64263.46**	**73175.00**	**46.82**	**73221.82**	**52000.00**	**44.83**	**52044.83**	**74429.00**	**48.65**	**74477.65**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	23.87	23.87	...	25.97	25.97	...	26.32	26.32	...	28.55	28.55
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम													
2. आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन													
2.01 कार्यक्रम घटक	2501	2391.61	...	2391.61	3163.50	...	3163.50	2043.00	...	2043.00	3059.00	...	3059.00
2.02 ईएपी घटक	2501	...	...	...	400.00	...	400.00	330.00	...	330.00	600.00	...	600.00
जोड़- आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन		*2391.61*	*...*	*2391.61*	*3563.50*	*...*	*3563.50*	*2373.00*	*...*	*2373.00*	*3659.00*	*...*	*3659.00*
ग्रामीण रोजगार													
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना													
3.01 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु सहायता	2505	29212.92	...	29212.92	33000.00	...	33000.00	29387.00	...	29387.00	33000.00	...	33000.00
3.02 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	2505	-29215.05	...	-29215.05	-33000.00	...	-33000.00	-29387.00	...	-29387.00	-33000.00	...	-33000.00
कुल		*-2.13*	*...*	*-2.13*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
आवास													
4. ग्रामीण आवास													
4.01 इंदिरा आवास योजना	2216	9872.06	...	9872.06	9966.00	...	9966.00	8121.00	...	8121.00	13665.60	...	13665.60
4.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	2216	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल		*9872.06*	*...*	*9872.06*	*9966.00*	*...*	*9966.00*	*8121.00*	*...*	*8121.00*	*13665.60*	*...*	*13665.60*
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम													
5. डीआरडीए प्रशासन	2515	550.00	...	550.00	449.00	...	449.00	368.40	...	368.40	225.00	...	225.00
6. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	2515	81.00	19.37	100.37	94.50	19.30	113.80	42.30	17.04	59.34	45.00	18.50	63.50
7. कापार्ट को सहयोग	2515	...	...	...	35.00	...	35.00	12.00	...	12.00	15.00	...	15.00
8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2515	90.00	...	90.00	135.00	...	135.00	...	...	...	50.00	...	50.00
9. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु प्रबंध सहायता और जिला योजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण	2515	119.72	1.23	120.95	108.00	1.55	109.55	133.00	1.47	134.47	108.00	1.60	109.60

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
10. बीपीएल सर्वेक्षण	2515	2559.37	...	2559.37	247.50	...	247.50	347.50	...	347.50	53.10	...	53.10
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*2559.37*	*...*	*2559.37*	*247.50*	*...*	*247.50*	*347.50*	*...*	*347.50*	*53.10*	*...*	*53.10*
11.	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.90	...	0.90
जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		**3400.09**	**20.60**	**3420.69**	**1069.00**	**20.85**	**1089.85**	**903.20**	**18.51**	**921.71**	**497.00**	**20.10**	**517.10**
सड़कें और पुल													
12. केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	3054	5531.25	...	5531.25	5827.20	...	5827.20	5827.20	...	5827.20	5827.20	...	5827.20
13. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)													
13.01 कार्यक्रम घटक	3054	17131.31	...	17131.31	20699.00	...	20699.00	8100.00	...	8100.00	15690.10	...	15690.10
13.02 ईएपी घटक	3054	2211.00	...	2211.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	4266.00	...	4266.00
13.03 पीएमजीएसवाई पर सीआरएफ से पूरी की गई राशि	3054	-5531.25	...	-5531.25	-5827.20	...	-5827.20	-5827.20	...	-5827.20	-5827.20	...	-5827.20
	कुल	*13811.06*	*...*	*13811.06*	*15871.80*	*...*	*15871.80*	*3272.80*	*...*	*3272.80*	*14128.90*	*...*	*14128.90*
जोड़-सड़कें और पुल		**19342.31**	**...**	**19342.31**	**21699.00**	**...**	**21699.00**	**9100.00**	**...**	**9100.00**	**19956.10**	**...**	**19956.10**
14. राष्ट्रीय निवेश - निधि (एनआईएफ) को अंतरण													
14.01 ग्रामीण रोजगार	2505	7831.53	...	7831.53	17874.00	...	17874.00	14299.20	...	14299.20	...	...	...
14.02 ग्रामीण आवास	2216	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय निवेश - निधि (एनआईएफ) को अंतरण		*7831.53*	*...*	*7831.53*	*17874.00*	*...*	*17874.00*	*14299.20*	*...*	*14299.20*	*...*	*...*	*...*
15. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड को अंतरण													
15.01 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड को अंतरण	2505	29215.05	...	29215.05	33000.00	...	33000.00	29387.00	...	29387.00	33000.00	...	33000.00
15.02 एनआईएफ से पूरी की गई राशि	2505	-7831.53	...	-7831.53	-17874.00	...	-17874.00	-14299.20	...	-14299.20	...	...	...
	कुल	*21383.52*	*...*	*21383.52*	*15126.00*	*...*	*15126.00*	*15087.80*	*...*	*15087.80*	*33000.00*	*...*	*33000.00*
16. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान													
16.01 आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	2552	...	...	...	351.50	...	351.50	227.00	...	227.00	341.00	...	341.00
16.02 ग्रामीण आवास	2552	...	...	...	1109.00	...	1109.00	903.00	...	903.00	1518.40	...	1518.40
16.03 डीआरडीए प्रशासन	2552	...	...	...	51.00	...	51.00	41.60	...	41.60	25.00	...	25.00
16.04 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	2552	...	...	...	10.50	...	10.50	4.70	...	4.70	5.00	...	5.00
16.05 ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2552	...	...	...	15.00	...	15.00	...	...	...	...	...	...
16.06 ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु प्रबंध सहायता और जिला योजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण	2552	...	...	...	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
16.07 बीपीएल सर्वेक्षण	2552	...	...	...	27.50	...	27.50	27.50	...	27.50	5.90	...	5.90
16.08 बीपीएल सर्वेक्षण	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
16.09 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - कार्यक्रम घटक	2552	...	...	...	2301.00	...	2301.00	900.00	...	900.00	1743.90	...	1743.90
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान		*...*	*...*	*...*	*3877.50*	*...*	*3877.50*	*2115.80*	*...*	*2115.80*	*3651.30*	*...*	*3651.30*
कुल जोड़		***64218.99***	***44.47***	***64263.46***	***73175.00***	***46.82***	***73221.82***	***52000.00***	***44.83***	***52044.83***	***74429.00***	***48.65***	***74477.65***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	2391.61	...	2391.61	3563.50	...	3563.50	2373.00	...	2373.00	3659.00	...	3659.00
2. ग्रामीण रोजगार	12505	29212.92	...	29212.92	33000.00	...	33000.00	29387.00	...	29387.00	33000.00	...	33000.00
3. आवास	22216	9872.06	...	9872.06	9966.00	...	9966.00	8121.00	...	8121.00	13665.60	...	13665.60
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	3400.09	...	3400.09	1069.00	...	1069.00	903.20	...	903.20	497.00	...	497.00
5. सड़क एवं पुल	13054	19342.31	...	19342.31	21699.00	...	21699.00	9100.00	...	9100.00	19956.10	...	19956.10
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	3877.50	...	3877.50	2115.80	...	2115.80	3651.30	...	3651.30
जोड़		**64218.99**	**...**	**64218.99**	**73175.00**	**...**	**73175.00**	**52000.00**	**...**	**52000.00**	**74429.00**	**...**	**74429.00**

1. प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. 2. एसजीएसवाई को मिशन मोड में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के लिए उसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित किया गया है ताकि लक्षित रूप से और समयबद्ध तरीके से परिणाम हासिल किए जा सकें। एनआरएलएम को अब आजीविका का नाम दिया गया है।एसजीएसवाई की तुलना में आजीविका के तहत किए गए दो प्रमुख कार्यनीतिक बदलाव ये हैं कि (i) आजीविका मांग आधारित कार्यक्रम होगी और राज्य अपने पिछले अनुभवों, संसाधनों और कौशलों के आधार पर इस कार्यक्रम के तहत अपनी गरीबी उपशमन कार्य योजनाएं तैयार करेंगे तथा (ii) आजीविका के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तौर से लेकर उप जिला स्तर तक सभी स्तरों पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए विभिन्नत व्यवसायों के संबंध में व्यावसायिक सहायता संरचना उपलब्ध कराई जाएगी।

आजीविका के तहत स्वसहायता समूहों के गठन के जरिए सार्वभौमिक सामाजिक अभिप्रेरण से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक ग्रामीण बीपीएल परिवार का कम से कम एक सदस्य, यथासंभव महिला सदस्य को स्वसहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क में शामिल किया जाए। मजबूत लोक संस्थाओं के गठन के उद्देश्य से आजीविका में ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तरों तक स्वसहायता समूहों के संघ स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। सभी के वित्तीय समावेशन के लक्ष्यं की दिशा में आगे बढ़ते हुए बैंकों के साथ स्वसहायता समूहों को जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा सके। आजीविका में सामुदायिक संस्थाओं और इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में लगे कार्मिकों तथा बैंकरों, पीआरआई कार्यकर्ताओं जैसे अन्यन स्टेक कहोल्डरों के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण की परिकल्प्रा की गई है। उपभोग तथा आय अर्जन कार्य-कलाप शुरू करने जैसी जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रत्येक स्वसहायता समूह को 10,000/- से 15,000/-रू. तक का रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। बैंकों के ऋण शीघ्र अदा करने वाले स्वसहायता समूहों को ब्याज सब्सिसडी दी जाएगी। बैंकों से लिए जाने वाले प्रति परिवार अधिकतम 1,00,000/- रू. तक के हर ऋण के लिए गरीब परिवारों को 7 प्रतिशत और प्राइम लैंडिंग रेट (पीएलआर) के बीच का अंतर दिया जाएगा।

महिला कृषकों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने तथा ग्रामीण महिला कृषकों, मुख्य रूप से लघु और सीमांत किसानों को सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी रूप से अधिकार संपन्न बनाने के लिए- एनआरएलएम के उप-घटक के रूप में महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) नामक नई योजना शुरू की गई है।

ग्रामीण बीपीएल युवाओं को छोटे उद्यम और मजदूरी रोजगार शुरू करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें बुनियादी एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक जिले में एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थादन (आरएसईटीआई) स्थापित करने के लिए एनआरएलएम के तहत एक और योजना चलाई जा रही है।

एनआरएलएम के अंतर्गत, 20% निधियां नियोजन से जुड़ी कौशल विकास तथा नवोन्मेषी विशेष परियोजनाओं के लिए उपलब्धर हैं। कौशल विकास की प्रत्येक विशेष परियोजना का उद्देश्य नियमित मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करते हुए नियोजन के जरिए काफी अधिक संख्या में बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए एक समयबद्ध प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम सुनिश्चित करना होगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय जम्मू व कश्मीर में कौशल सशक्ती करण और रोजगार (एसईईजेएंडके) के लिए हिमायत नामक एक नई योजना का कार्यान्वयन भी कर रहा है। इसमें अगले 5 वर्षों में जम्मू व कश्मीर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के एक लाख युवाओं को कवर करने की परिकल्पना की गई है। इसमें अलग-अलग शैक्षिक पृष्ठंभूमि वाले सभी युवाओं अर्थात् विद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले, स्नातक तक की पढ़ाई पूरी न करने वाले आदि को शामिल किया जाएगा। 70% निधियों का इस्तेरमाल मजदूरी रोजगार के लिए तथा शेष 30% निधियों का इस्ते्माल स्व रोजगार के लिए किया जाएगा। यह शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना है।

3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2.2.2006 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए कम से कम 100 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने की व्यवस्था करना है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम को देश के 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में कार्यान्वित किया गया था, बाद में दो चरणों में इसे देशभर में लागू किया गया।

मनरेगा में टिकाऊ और लाभकारी परिसंपत्तियों के सृजन की परिकल्पना की गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का काफी अधिक आर्थिक और पारिस्थितिकीय विकास होगा। परिसंपत्तियां सृजित करने के उद्देश्य में स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा जाता है और कार्यस्थल पर सामुदायिक भागीदारी और विभागीय तालमेल की आवश्यकता होती है।

बुनियादी स्तार पर सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा योजनाओं की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 अधिसूचित कर दी है, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया और कार्यविधियों का वर्णन किया गया है। योजनाओं की लेखा परीक्षा नियमावली 2011 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी किया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर 6 महीने में कम से कम एक बार सामाजिक लेखा परीक्षा कराई जाएगी।

कृषि मजदूरों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईएएल) के आधार पर वर्ष में एक बार मजदूरी दरों में संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया है। तदनुसार, दिनांक 23.3.2012 की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2012 में मजदूरी दरों को संशोधित किया गया है, जो कि 1 अप्रैल, 2012 से लागू हुईं।

महात्मा गांधी मनरेगा और एनएसएपी के लाभार्थियों को लाभ के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण से जुड़े कार्यान्वयन के सभी मुद्दों की जांच करने के लिए सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। महात्मा गांधी नरेगा प्रचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन कर दिया गया है। इन दिशा-निर्देशों का चौथा संशोधित संस्केरण महात्मा गांधी नरेगा प्रचालन दिशा-निर्देश, 2013 दिनांक 2.2.2013 को जारी किया गया।

भारत सरकार द्वारा समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत शामिल किए गए पिछड़े जिलों पर विशेष बल दिया गया है। ऐसे आईएपी जिलों में मनरेगा कामगारों के लिए समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, उन क्षेत्रों में नकद भुगतान करने की अनुमति दी गई है, जहां बैंकों/डाकघरों की मौजूदगी काफी कम है। आईएपी जिलों में मनरेगा के अंतर्गत खेल के मैदानों और आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले अनुमेय क्रियाकलापों में से एक क्रियाकलाप के रूप में अधिसूचित किया गया है। गवर्नमेंट फॉर डायरेक्टर बेनेफिट ट्रांसफर्स (डीबीटी) द्वारा चुने गए 51 जिलों में से 46 ग्रामीण जिलों में प्रायोगिक आधार पर आधार समर्थित मजदूरी भुगतान किया जा रहा है।

वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 216.34 करोड़ श्रम दिवसों का रोजगार सृजित किया गया, जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान (दिसंबर, 2012 तक) 140.66 करोड़ श्रम दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। वर्ष 2012-13 (दिसंबर, 2012 तक) के दौरान सृजित किए गए कुल रोजगार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी क्रमश: 22 और 16 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 2011-12 के दौरान सृजित किए गए कुल रोजगार में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत थी।

4. इंदिरा आवास योजना का मुख्यत उद्देश्य है- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण तथा मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे मकानों के उन्नयन में सहायता उपलब्ध कराना। 1995-96 से आई.ए.वाई. का लाभ सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए सशस्त्र एवं अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के परिवारों को भी दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की सहायता के लिए योजना के अंतर्गत कम से कम 60% निधियां निर्धारित की जाती हैं। गामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विकलांगों के लिए 3% निधियां आरक्षित हैं।बीपीएल अल्पासंख्यकों (15 प्रतिशत) के लिए आईएवाई निधियां तथा वास्तविक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं।

आवासीय इकाई निरपवाद रूप में लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर आवंटित की जानी चाहिए। विकल्पव के रूप में, इसे पति-पत्नी दोनों के नाम पर आवंटित किया जा सकता है। यदि परिवार में कोई पात्र महिला सदस्य न हो तो मकान पुरुष के नाम पर आवंटित किया जा सकता है।

इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक मकान के निर्माण के लिए 45,000 रु. तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पहचाने गए जिलों सहित पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 48,500 रु. की सहायता दी जाती जिसे बढ़ाकर क्रमश: 70,000/- और 75000/- रुपए कर दिया गया है। वित्तापोषण को केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में मामले में यह अनुपात 90:10 है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में शत-प्रतिशत राशि केंद्र द्वारा उपलब्ध0 कराई जाती है। इंदिरा आवास योजना के भाग के रुप में, इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईएवाई लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, आईएवाई के साथ संपूर्ण स्वनच्छता अभियान, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, पेयजल

आपूर्ति, आम आदमी बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा, स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार येाजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का तालमेल बिठाया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं तथा दंगा, आगजनी और आग, असामान्य परिस्थितियों में पुनर्वास जैसी आकस्मिक परिस्थितियों इत्यादि से उत्पन्न होने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए आईएवाई के तहत कुल आवंटन का 5 प्रतिशत अलग रखा जाता है। कोई जिला आईएवाई के तहत अपने वार्षिक आवंटन के 50% प्रतिशत और राज्य आबंटन के 10% तक का उपयोग कर सकता है।

5. डीआरडीए प्रशासन की येाजना का उद्देश्य, डीआरडी एजेंसियों को सुदृढ़ करना और उन्हें अधिक पेशेवर तथा कारगर बनाना है। इसे एक ओर तो मंत्रालय के गरीबी विरोधी कार्यकमों के प्रबंधन के लिए विशेषज्ञता प्राप्त एक सक्षम एजेंसी के रूप में देखा जाता है और दूसरी ओर यह इन कार्यक्रमों को जिले में गरीबी उपशमन के समस्त प्रयासों के साथ जोड़ती है। इस योजना का वित्पोषण, केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90:10 के अनुपात में किया जाता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीआरडी एजेंसियों को सीधे 2 किस्तों में निधियां प्रदान की जाती हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र द्वारा 100 प्रतिशत निधियां प्रदान की जाती हैं।

6. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक शीर्ष संस्थान है। विकासात्मक मुद्दों पर पाठ्यक्रम आयोजित करने के अलावा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के कर्मियों की क्षमता का निर्माण एनआईआरडी के मुख्य विषय हैं।

7. लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) का उद्देश्य विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और आवश्यकता आधारित अभिनव परियोजनाओं में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लोगों को शामिल करना है। कपार्ट उच्च स्तर की सामाजिक एकजुटता के माध्य म से सामाजिक बाधाओं को कम करके एवं ग्रामीण गरीबों को अधिकार देकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जन आंदोलन शुरू करने का कार्य करती है।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान (पुरा) का उद्देश्य निर्धारित ग्रामीण बस्तियों में वास्तविक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में कमी को समाप्त करना है, ताकि उनकी विकास की क्षमता को बढ़ाकर ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रोका जा सके।

9. इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और प्रशिक्षण क्रियाकलापों, जागरूकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र को मजबूती प्रदान करने, सूचना प्रौद्योगिकी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जिला नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का प्रावधान शामिल है।

10. यह प्रावधान मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्य किए जाने वाले ग्रामीण बीपीएल परिवारों के निर्धारण के उद्देश्य से बीपीएल सर्वेक्षण कराने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

11. चूंकि राज्यों की जरूरतें, प्राथमिकताएं और विकास के स्तर अलग-अलग हैं, इसलिए सभी के लिए एक समान केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के मॉडल के परिणामस्वरूप इन योजनाओं में विभिन्न राज्यों के बीच मौजूद अंतर पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं होते है। इस तथ्य को देखते हुए योजनाओं के डिजाइन में और अधिक लचीलेपन की जरूरत है ताकि राज्यों को अपने विकास की सम्भावनाओं और निवेश की जरूरतों के अनुरूप परियोजनाएं/योजनाएं तैयार करने की छूट मिल सके। इस प्रकार फ्लैक्सी फंड में पूरा जोर इस बात पर दिया जाता है कि विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत परिकल्पित व्यापक उद्देश्योंश सहित अपनी स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार कार्ययोजना तैयार करने की आजादी राज्यों को दी जाए। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यक्षेत्र में न आने वाले कुछ कार्यकलापों/परियोजनाओं को फ्लैक्सी फंड में योजनाओं के अतिरिक्त घटकों के रूप में शामिल किया जाएगा। फ्लैक्सी फंड विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अतिरिक्त घटकों के रूप में कार्य कर सकता है।

13. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना केन्द्रीय प्रायोजित येाजना है, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोर नेटवर्क में मौजूद सड़कों से न जुड़ी सभी मौजूदा पात्र बसावटों को अच्छीं बारहमासी सड़कों के माध्याम से सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और इससे अधिक तथा पर्वतीय राज्यों, जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्रों, मरूभूमि क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में यथानिर्धारित) और गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा समेकित कार्य योजना के तहत यथानिर्धारित 82 चूनिंदा जनजातीय एवं पिछड़े जिलों में 250 व्यक्तियों और इससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ने की परिकल्पिना की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना के अंतर्गत कुल 1,64,849 बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में उन्नयन घटक भी शामिल है, जिसमें खेतों से बाजार तक पूर्ण सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मौजूदा 3.68 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों (राज्यों द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली 40 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों के नवीकरण सहित) के उन्नयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

'ग्रामीण सड़क' को भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक घटक के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य 1000 व्यक्तियों और इससे अधिक (पर्वतीय राज्यों या अनुसूची V के जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 500 व्यक्तियों और इससे अधिक) आबादी वाली सभी बसावटों को अच्छीन बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। भारत निर्माण कार्यक्रम में 'उन्नयन' घटक भी शामिल है, जिसमें खेतों से बाजार तक पूर्ण सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मौजूदा 1.94 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों (राज्यों द्वारा वित्ति पोषित किए जाने वाले ग्रामीण सड़कों के 40 प्रतिशत नवीकरण सहित) के उन्नयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यों द्वारा किए गए जमीनी सत्यापन के आधार पर भारत निर्माण के अंतर्गत कुल 63940 बसावटों को सड़को से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त 3 परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही हैं, जिनमें से ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना-I और II एशियाई विकास बैंक की सहायता से तथा ग्रामीण सड़क परियोजना-I विश्व बैंक की सहायता से चल रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए एशियाई विकास बैंक के अंतर्गत ग्रामीण सड़क क्षेत्र-III परियोजना पर भी बातचीत चल रही है। विश्वग बैंक की ग्रामीण सड़क परियोजना-II के अंतर्गत 1.5 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते पर 14 जनवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना 7 राज्यों में चलाई जा रही है।

14. महात्माष गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष का आंशिक वित्त पोषण राष्ट्रीय निवेश कोष के जरिए किया जाता है।

15. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वित्तपोषण पूर्णत: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष से किया जाता है।

16. यह प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों, जिनमें सिक्किम शामिल है, के लाभ के लिए परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए किया गया है।